न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी–दिनेश धाकड़, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :– 56/2023(पुरानी–07/2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 27.10.2023(पुरानी–03.02.2023)
निर्णय दिनांक :– 24.04.2024

::–उनवान–::

1. **रामलाल पुत्र प्रयाग**
2. **बाबूलाल उर्फ श्रवण पुत्र प्रयाग**
   जाति जाट निवासी बासेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

2. **नायब तहसीलदार, टोडारायसिंह, तह0 टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान**

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह, दिनांक 24.01.2023 प्रकरण सं. 1623/2022 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
1. श्री सुनील जैन, सीताराम गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. नायब तहसीलदार टोडारायसिंह रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–:: **दिनांक 24.04.2024**

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि **अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह** ने अपने **निर्णय दिनांक 24.01.2023 प्रकरण सं. 1623/2022** के द्वारा अपीलान्ट को भूमि **खसरा नम्बर 1627, रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बासेड़ा, किस्म चरागाह पर कब्जा जोत व लोहे की फाटक लगाने का दोषी मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा** से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया

है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिकमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की **राजकीय भूमि 1627 रकबा 0.08 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम बासेड़ा** तहसील टोडारायसिंह पर **कब्जा जोत व लोहे की फाटक लगाकर** अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. फलतः **अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.01.2023 प्रकरण सं. 1623/2022 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेंगे कि निवर्तमान में अपीलांट का अतिकमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है।**

7. **भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिकमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।**

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलेक्टर,
केकड़ी